उ.प.रे. N.W.R.

उत्तर पश्चिम **रेल्वे, जोधपुर**

6

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-6/JU/2024/6 दिनांक 23.04.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ) ,वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत) , वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार) , वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली) , प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी , प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 06/2024

विषय- गाडी संचालन से संबन्धित प्राधिकारों को बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियां

डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों पर निरीक्षणों के दौरान यह देखने में आया है कि स्टेशन मास्टर द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में बनाये जाने वाले प्राधिकारों को सही प्रकार से नियमानुसार नहीं बनाया जा रहा है अपितु बनाये गए प्राधिकारों को बिना कारण दर्शाये निरस्त भी किया जा रहा है जिसमे कि गाड़ियों के संचालन में विलम्ब होने या दुर्घटना होने कि संभावना को बल मिलता है। अतः सभी को निर्देश दिये जाते है कि गाडी संचालन से संबन्धित विभिन्न प्राधिकारों को बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।

(1) टी/369 (3बी) (ऑन या खराब सिगनल पार करने का प्राधिकार)

(i) उन सिगनल अथवा सिगनलों के नाम जो ऑन या खराब स्थिति में पार किये जाने हैं हाथ से मोटे अक्षरों में लिखे जायेगें।
(ii) स्टेशन का नाम हमेशा पूरा और मोटे अक्षरों में लिखा जायेगा और स्टेशन की मोहर लगायी जायेगी।
(iii) डयूटी का स्टेशन मास्टर पूरे हस्ताक्षर करेगा छोटे हस्ताक्षर की अनुमति नहीं है।
(iv) आगमन तथा प्रस्थान सिगनलों के लिए एक ही फार्म प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। आगमन सिगनलों के समूह के एक या अधिक ख़राब सिगनलों के लिए एक ही फार्म प्रयोग में लाया जायेगा और इसी प्रकार प्रस्थान सिगनलों के समूह के एक या अधिक सिगनलों के लिए भी एक ही फार्म प्रयोग में लाया जा सकता है।
(v) यदि ख़राब सिग्नल ब्रेकिट खम्बो पर लगे सिगनलों में से एक ही तो फार्म टी 369 (3बी) पर विशेष रूप से यह दर्ज किया जायेगा कि खराब सिग्नल किस मार्ग को नियंत्रित करता है।
(vi) मूल प्रति लोको पायलट को दी जायेगी जो इसकी प्राप्ति के संबंध में कार्बन प्रति पर हस्ताक्षर करेगा और प्राप्ति का समय भी दर्ज करेगा। कार्बन प्रति ड्राइवर को नहीं दी जायेगी बल्कि वह स्टेशन रिकार्ड के रूप में रखी जायेगी।
(vii) जब गाड़ी एक से अधिक इंजन में चलायी जा रही हो तो मुख्य (लीडिंग) इंजन के लोको पायलट को देने से पहले अतिरिक्त इंजन का ड्राइवर भी इस फार्म पर हस्ताक्षर करेगा।
(vii) फार्म टी/369(3बी) तैयार करते समय फार्म में किसी प्रकार की कॉट छांट नहीं की जायेगी, किसी शब्द को मिटाया नहीं जायेगा या लिखावट के ऊपर नहीं लिखा जायेगा। यदि फार्म टी/369 (बी) में लिखते समय

कोई गलती हो जाये को फार्म को रद्द कर दिया जायेगा और फार्म के आर-पार रद्द लिखा जायेगा और नया फार्म तैयार किया जायेगा |

(ix) खराब रोक सिगनल के संबंध में फार्म टी/369(3बी) प्राप्त करने वाला लोको पायलट नियुक्त किये गए रेल कर्मचारी द्वारा दिखाए गए हैण्ड सिग्नलों पर सम्बंधित सिग्नलों को प्रतिबंधित गति पर जो 15 कि.मी.प्र.घ. से अधिक नहीं होगी पार करेगा और फार्म टी/369(3बी) में दिये गये निर्देशो का पालन करेगा। वह पूरी सावधानी बरतेगा और किसी भी रूकावट से पहले जिसमें समपार फाटक भी शामिल हैं रुकने के लिए तैयार रहेगा।

(x) लोको पायलट ने जो भी फार्म टी/369(3बी) प्राप्त किये हों उन सब को यह अपने संयुक्त गाड़ी जर्नल सहित यात्रा के अन्त में वरि. सेक्शन इंजीनियर लोको को सौंप देगा।

(Xi) जब भी कभी सिगनल / एस एंड टी गियर खराब होने पर केबीन बेसमेंट/रिले रूम की चाबी एस एंड टी कर्मचारी को सौंपी जाए तो स्टेशन मास्टर को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए और एस एंड टी गियर खराब होने पर पहली गाड़ी को अनिवार्य रूप से "आन या खराब हालत में सिगनल की पार करने के प्राधिकार" पर भेजना / रिसीव करना चाहिए तथा सिगनल/काँटों की विफलता के समय गाडी को भेजने/ रिसीव करने के लिए निर्धारित किए गए नियमों की कढ़ाई से अनुपालना की जानी चाहिए। गाड़ी को भेजने / रिसीव करने के दौरान यदि किसी गाड़ी का संचालन "ओन या खराब हालत में सिगनल को पार करने के प्राधिकार" के अधीन है तो चाहे एस एंड टी कर्मचारी का कार्य पूरा हो गया हो और चाबियां वापस सौंप दी गई हो तो भी संचालन प्रविधि के अनुसार ही पूरा किया जाना चाहिए । सामान्य प्रक्रिया अनुवर्ती गाड़ियों के संचालन के लिए ही अपनायी जानी चाहिए।

(2) पेपर लाईन क्लीयर टिकट (T/C-1425 या T/D-1425)

- गाड़ी नंबर- गाड़ी नंबर निम्न प्रकार से लिखा जायेगा "9106 Up Mail, KKU Down Goods.
- प्रकार- गाड़ी की प्रकार निम्न प्रकार में लिखा जायेगा जैसे मेल एक्सप्रेस, गुड्स आदि।
- दिनांक- दिनांक को नम्बरो में लिखा जायेगा जैसे 23.04.24.
- समय- लाइन क्लीयर मिलने का समय लिखा जायेगा न कि पेपर लाईन क्लीयर टिकट बनाने का ।
- स्टेशनों के नाम- जारीकर्ता स्टेशन की मोहर लगाई जाएगी जिसमें स्टेशन का पूरा नाम होना चाहिए साथ ही साथ जारीकर्ता व गंतव्य दोनों स्टेशनों के पूरे नाम और कोड भी बड़े अक्षरों में लिखे जायेंगे ।
- प्राइवेट नंबर- लाइन क्लीयर के लिए प्राप्त प्राइवेट नंबर शब्दों व अंको में लिखा जायेगा।
- अन्य इन्द्राज- अंतिम रोक सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए प्राधिकार पर पहले में लिखा हुआ है उस पर सही का निशान लगाया जायेगा । यदि और कोई इंटरलॉक सिगनल को ऑन स्थिति में पास करने की आवश्यकता हो तो उसे इन फार्म पर लिखा जा सकता है उनके लिए अलग से प्राधिकार देने की आवश्यकता नहीं है।

नोट:- फार्म T/C-1425 या T/D-1425 तैयार करते समय फार्म में किसी प्रकार की काट छांट नहीं की जायेगी किसी शब्द को मिटाया नहीं जायेगा या लिखावट के ऊपर नहीं लिखा जायेगा। यदि फार्म T/C-1425 या T/D-1425 में लिखते समय कोई गलती हो जाये तो फार्म को रद्द कर दिया जायेगा और फार्म के आर-पार रद्द लिखा जायेगा और नया फार्म तैयार किया जायेगा।

वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी
उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर